

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to regulate the prices of essential articles of daily consumption and to prevent profiteering in such articles."

The motion was adopted.

SHRI K. LAKKAPPA: I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Anadi Charan Das. Absent.

15.19 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Substitution of article 335)

by Shri C. T. Dhandapani—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the Bill by Shri Dhandapani to amend the Constitution. Shri Dinesh Joarder was on his legs. He has informed us that he would not be here today to continue his speech.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to the mover of this Bill, Shri Dhandapani, who has brought this Bill before the House and drawn the attention of the Minister and the Government to this problem. He has tried to remove some of the drawbacks and difficulties which people belonging to the weaker sections, particularly those of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have to face on account of the non-implementation of the provisions of the Constitution. Of course, I am not in full agreement with Shri Dhandapani.

15.39 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

I would like to point out, in his Bill he has mentioned Article 46 of the Constitution which reads as under:

"The State shall promote with special care the educational and economic

interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

Mr. Dhandapani, in his Bill, referred that Article 335 of the Constitution shall be substituted and shall be taken into consideration for making all appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State. If I am permitted to quote Article 335 of the Constitution, it reads as under:

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

Article 335 contradicts Article 46. Although in Article 46 it is stated that claims of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be taken into consideration by the State while considering their appointments in various categories of services, here in Article 335 it mentions 'consistently with the maintenance of efficiency of administration'.

We all know that due to historical and other factors, generally the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not well up or well prepared to compete with the other candidates and so here the mention of 'consistently with the maintenance of efficiency of administration' indirectly indicates that their case will not be considered and thereby the appointing authority who considers the cases, knowingly or unknowingly takes shelter under this provision of the Constitution.

When we look to the reservation quota, the various State Governments have reserved the different percentage of posts. But I can say that they have not given them equal opportunities and that they have not taken some of the steps which have been mentioned in this regard. Say, out of 16 per cent reserved posts only 6 per cent or 8 per cent have gone to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

[SHRI Arjun Sethi]

Although I am not in full agreement with Mr. Dhandapani, still I want to draw the attention of the hon. Minister and the House to this thing. There is a provision in the Constitution to give equal opportunities or to give certain reservations to the weaker sections of the people in our country. Why the various State Governments have not given equal opportunities or given same percentage of reservations in various services to the weaker sections of our country and have not implemented the provisions of the Constitution. Article 46 comes under the Directive Principles of State Policy. What the Central Government can do is to give guide-lines to State Governments. It is common experience that though the Central Government gives guide-lines to State Governments, they do not follow them. They do not think it compulsory or obligatory on their part to implement them.

Similarly, as my hon. friend, Shri Dhandapani mentioned, in other institutions, like the L.I.C., the State Bank or other nationalised Banks, in public sector undertakings, there is no proper representation to these weaker sections of our society. Under the circumstances, I would request the hon. Minister, Shri Ram Niwas Mirdha, to consider these things. In some of the States, in their services, and in some of the public sector undertakings, etc., they are not giving proper opportunities to the weaker sections of our country under the provisions of the Constitution of India.

With these words, I conclude and I request the hon. Minister to consider these points.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): Mr. Chairman. Sir. I must congratulate Shri Dhandapani for bringing forward such an important Bill to amend the Constitution of India before the House. I do not know for what purpose he has brought forward the Bill whether to popularise himself or his party. I have nothing to say about that. But from my side, I say, it is a most important Bill which is overdue.

In the Constituent Assembly, the leaders of our country had a pious wish and wanted to bring the down-trodden people to the level of high caste people within a reserved period of 10 years. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes people had been comparatively so backward economically and educationally that they could not be brought to the same level of other high caste people unless there is special provision in the Constitution and it is done. The period of 10 years was extended by this honourable House and, again, it was further extended by another 10 years. It proves that the Government has failed to bring these down-trodden people, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, to the level of the high caste people.

Article 16 in the Fundamental Rights Chapter of the Constitution says:

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

That is there. But has it been implemented? The backward and the weaker sections of the people, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, during the British times, have been in such a position that it has not been possible for them to avail themselves of equal opportunity as mentioned in the above article and they feel that they could not come them upto the level of high caste people. Then, article 46 says:

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

This has been very clearly stated by our pious leaders in those days, in the Constituent Assembly. The interests of this section, economically and educationally, should be protected by the State. Whether it has been done or not in the 25 years of rule by Congress, whether these Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been brought to the level of other high class people is the question. I do not

say that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been brought to any higher level, educationally and economically. But, after independence, all the citizens are to get the equal opportunity to develop. But the Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not be brought by the Government to the same level with the other sections of the people.

Just now my friend, Mr. Arjun Sethi, was mentioning about article 335 which is in question. This is, the most mischievous article and it flouts the wishes of the leaders of the country and particularly of Mahatma Gandhi. What does this article say? It says:

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

I should not blame these bureaucratic people alone because they had been trained by the British; that mentality is still there, that outlook is still there; they have not been able to adjust themselves with our present society. Therefore, under the garb of this article, they say that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot come up on the same footing, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are so low in standard and that no suitable candidates are available and all that.

I would refer you to the position in Assam. The tribals of Assam come into the IAS much more than the Brahmin caste and other castes. Why? It is because in Christian missionaries they get the best of education; the missionaries impart the best education with the help of the best available teachers. So, they are brought to the same level. Out of the reservation made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in IAS and IPS they get more. If you go through the list of IAS and IPS, you will find that 95 per cent of the reserved quota of services has

been taken by the hill tribals, of Sixth Schedule area. There are two types of tribals in Assam: one is hill tribals and the other is plains tribals. The hill tribals come under the Sixth Schedule area. What are the Sixth Schedule areas? The Sixth Schedule areas were those which were kept under darkness which were kept away from the rest of the country, under the British regime they were excluded areas. Take, for instance, NEFA, the newly constituted territory known as Arunachal now. If you want to go there, you will have to take permission. You cannot go there without permission. That has been done with the idea that, if other people go there, they will exploit them. That was a protection made by the British and we have to continued that protection! Why? It is because our mental outlook is still bad; our mental outlook is still for exploitation of backward classes. Therefore, there is a bar. Nobody can go without the special permission of the authority in the tribal areas. Mizoram is the Sixth Schedule area, Nagaland is a sixth schedule area, Meghalaya is a sixth schedule area with Khasi and Garo Hills and the Mihar Hills and North Cachar Hills are the sixth schedule areas. So, there is some protection for the tribals there that the plains people cannot possess lands there without permission from the District Councils.

Sir, you may not agree with me. Whenever the question of Christian missionaries is discussed here in this House, some people feel allergic that the missionaries should be removed from India. They should be prevented from India. That is the attitude of our, not the Hindus, but the Hindu-minded people. But they should not forget that these Christian missionaries have imparted the best available education with the best teachers available. They pay a higher salary than the Government. So, they get the best teachers. So, the education imparted there in the schools is the best. So, in the IAS and IPS examinations, in those papers where English is the medium, these hill tribals fare quite well. They start learning English from the age of six. Therefore, when they pass their B.A., they

[Shri D. Basumatari]

speak better English. Here also, in this House the tribals from the Hill areas are considered better than the tribals of the other areas. Why? Because they can move the heart of the English-knowing people here, the administrator and the bureaucracy. Therefore, they get services reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Therefore, this Art. 335, I request Mr. Mirdha should be amended.

I would draw his attention to see that this mischievous Article incorporated in the Constitution is removed or amended. Otherwise, so long as these mischievous things remain, Articles 16 and 46 will be of no use, cannot bring any change, cannot protect the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Therefore, I request him and I have brought it on a different occasion also in the Consultative Committee and I have requested them to amend this Article. If you mean business and if you want to protect the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, this Article must be removed or amended forthwith. Otherwise, the reservation made for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will not be fruitful. At the same time, you will have to hear all sorts of criticisms, emotional talks, emotional speeches from various members of our community, even from Mr. R. S. Pandey who seems to advocate the cause of the tribals because he has got sizeable Scheduled Tribes voters. To please all these hon. Members, I request my friend, Mr. Mirdha, to bring an amendment to remove this mischievous Article 335. Otherwise, this special provision to the Constitution will only create utter frustration. I hope Government will consider this. I cannot say that the amendment brought by the Opposition Member may be accepted nor can I support it because it is from the Opposition. But from the core of my heart, I support the removal of this Article 335.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMIAH): Before you call the next speaker, as there are a number of speak-

ers on this side and as it is also a very important matter, may I request that the House may be pleased to extend the time by a couple of hours?

MR. CHAIRMAN: It is extended by two hours

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharampuram): We want to finish it to-day itself.

SHRI V. MAYAVAN (Chidambaram): He is the mover, Sir and it is his submission.

MR. CHAIRMAN: I am guided by the opinion of the House.

16 hrs.

SHRI V. MAYAVAN: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Constitution Amendment Bill which has been moved by my hon. colleague, Mr. C. T. Dhandapani. This Bill seeks to protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who are socially oppressed and depressed, the history of which the mover has already narrated. This Bill should have been moved by the Government in the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but since the Central Government are immune to the hardships and sufferings of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people it has been left to my friend, Shri Dhandapani, to propose this legislation. As we are accustomed to hearing the recurrent heart-felt sympathies of the Government for the woes of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the crocodile tears had earlier been reduced to black and white in Article 335 of the Constitution which had also been cushioned perhaps by Dunlopillo cushion, by Article 46 of the Constitution. I am not saying these things from my imagination. Yesterday in reply to Starred Question No. 769 a statement has been placed on the Table of the House by our hon. Prime Minister which pinpoints the failure of the Government in working for the welfare of SC & ST. This is not only a Government administered by individual ivory-tower bureaucrats, but this Government is also run by a committee of bureaucrats which recommend not infrequently the steps to be taken for establishing an utopia in India where all men and

women will have equal opportunities for a decent life. One such committee was Yardi Committee which recommended a fair treatment to SC & ST people. The Government led by the fairest of the fair accepted the recommendations of the Yardi Committee and behaved benevolently in enhancing percentages of reservations for SC & ST. An ideal has been achieved by the issuance of flats, and the issue thus has got frozen. But the fate of SC & ST continues to be in animated suspension. Though the Central Ministries are required to send quarterly returns regarding the promotions etc. of SC & ST the statement submitted to the House by our Prime Minister who has got in her veins the blood of Jean of Arc (according to a journalist of USA) bemoans that the information regarding the number of SC & ST employees who have been given the promotion in Central Government offices is not readily available. What an achievement so far as the implementation of the recommendations of the Committee is concerned. The Government have given solemn assurance to collect and lay the information on the Table of the House. Here ends the efforts of this Government.

Sir, I hope you will agree with me that from what I have stated above, Shri Dhandapani's Bill should be unanimously accepted by the Members of this House. The other Members who have spoken—including the previous speaker who was the Chairman of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—have rightly pointed out about this. This has been appreciated and it has also been suggested by everyone that this Bill has to be immediately passed. The proposed Article 335(2) mentioned in Clause 2 reads as follows:

"The vacancies reserved under Clause (1), which cannot be filled due to non-availability of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a particular year, shall be carried forward and added to the normal reservations during the subsequent two years."

In what way, this amendment would harm the Treasury Benches? Government itself should have willingly brought forward this legislation, in order to benefit the employees belonging to this community.

Here, I want to make two suggestions regarding the reservation of vacancies for scheduled castes and scheduled tribes. It should be made imperative that a minimum of 25 per cent of vacancies should be reserved for scheduled castes and scheduled tribes. If you go through the census—the book which has been supplied to all the Members—you will find that one-third of the population hail from this down-trodden minority community, namely, the scheduled castes and scheduled tribes. I would urge the hon. Minister to reserve 25 per cent of the vacancies to the scheduled castes and scheduled tribes. It is observed that in many cases the reserved posts are de-reserved for want of suitable candidates and the posts are filled up from general category candidates. I think reservation becomes a farce by the subsequent de-reservation. Such de-reservation will have to be obviated hereafter. I would request the hon. Minister—as earlier speakers have requested him—to sponsor this Bill from the Government side so that all the Members in this House will appreciate the Government, for the step that it is going to take.

श्री रामसहाय पाण्डेय (राजनंदगांव) :

सभापति जी, दण्डपाणि जी का यह बिल जिस में संविधान की धारा 335 का संशोधन करने के लिये कहा गया है, मैं समझता हूँ कि इस के पहले भी कई बार ऐसे बिल आ चुके हैं। इसके पीछे एक प्रेरणा है, और एक कल्पना भी है। प्रेरणा यह है कि हमारा समाज जो कमजोर है, दुर्बल है, अकिञ्चन है, विपन्न है, जो भाग्य के भरोसे दबा दिया गया है, बड़ा शोषण हुआ है, उस का, उस के सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया

राम सहाय पाण्डेय]

जाये। अगर संविधान में संशोधन कर सकते हों या लोक सभा कुछ कर सकती हो, तो उस में संशोधन कर के, परिवर्तन कर के, परिवर्तन कर के कुछ न कुछ किया जाये—इस के पीछे यही मंशा है।

25 प्रतिशत की सर्वसिद्ध आप सुरक्षित करें या न करें, लेकिन मैं एक प्रश्न गृह मंत्री जी से पूछ सकता हूँ—अब तक शेड्यूलड कास्ट्स, शेड्यूलड ट्राइब्स और हरिजनों का अनुपात सविम में क्या है, कितना है ? मेरी कल्पना है, अनुमान है, शायद इस के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न इतना बड़ा नहीं है। जितना समग्र समाज का चित्र जब मम्मूख रहें तो फिर छोटे और बड़े की बात क्यों होनी चाहिये। शैड्यूलड कास्ट्स, शैड्यूलड ट्राइब्स, हरिजन या जिम को बीकर संवर्ग कहते हैं। जब उस को ऊपर उठाने की बात करते हैं—श्रद्धा और सामाजिक दृष्टि से, तो हमारे मन में इस भावना का रहना बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा ही एक समाज, हमारा ही एक अंग इतना दुर्बल है कि जिस के लिये हम को विधान में परिवर्तन करने के लिये यहां आना पड़ता है।

मैं समझता हूँ कि इस के चार कारण हैं—यदि सारा समाज आत्म-चेतना के साथ यह अनुभव करे, सब हमारे बराबर के भाई हैं, विधान में इक्वैलिटी दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया है, न कोई बड़ा और न कोई छोटा है तो फिर सामाजिक विद्वेष या विभीषिका नहीं होगी, परन्तु जीवन के अन्तर और भावना आत्मा में बैठी है, शरीर में बैठी है, मन में बैठी है, कर्म में बैठी है निकली नहीं है।

डा० कलास (वम्बई दक्षिण) व्यवहार में नहीं है।

श्री रामसहाय पाण्डेय : व्यवहार, जगत में भी नहीं है। हमारे अन्दर हमारी आन्तरिक स्थिति में एक वितृ का भय

है। एक अन्तर है जो जाता नह, है—सामाजिक स्तर पर उनको बराबर, का दर्जा देने के सम्बन्ध में। इसलिए व तक कांशमनेस नहीं होगी तब तक यह भाव हमारे अन्दर से तिरोहित नहीं होगा।

सामाजिक न्याय का जहां तक सम्बन्ध है गांधी जी की कल्पना के अनुसार जैसाकि एक बार उन्होंने कहा था सबसे अन्तिम व्यक्ति समाज का वह हरिजन और आदिवासी है जिसको सामाजिक न्याय की तुला पर विवेक और व्यवहार में सदैव हमने त्याज्य समझा है इसलिए उनको सम्मान देने के लिए पहले तो उन्हीं एक मुन्दर नाम की रचना की, उनको हरिजन कह कर सम्बोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा यदि ईश्वर हमसे पूछे कि कहां जन्म लेना चाहते हो तो हम कहेंगे कि भगी के यहां हमारा जन्म होना चाहिए। भगी के यहां जन्म लेने की कल्पना मात्र से

SHRI V. MAYAVAN: This has nothing to do with the Bill. This is not in any way connected with the Bill. Let him confine himself to the Bill.

SHRI R. S. PANDEY: Social honour is much more paramount than this economic problem. Economic and social problems go together, and I hope my hon friend understands this. Now, why are these people demanding a greater percentage of reservation? It is because one-third of the population of this country has been denied of social justice and also economic justice. On the one hand, they have been denied of social justice; that is why, the question of economic justice also has become very important and paramount.

SHRI S. B. GIRI (Warangal): Without giving economic justice to these people, particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, how can we talk about social justice for them? It is only when a man gets some status that he will be treated as social being. Therefore, economic justice is also very important.

SHRI R. S. PANDEY: I want to project this very idea that social justice has been denied to them....

SHRI S. B. GIRI: May I point out....?

MR. CHAIRMAN: If the hon. Member wants to speak, he may send his name, and I shall call him.

SHRI R. S. PANDEY: In our Indian society where the slogan 'Swaraj is my birthright' was formulated, the first thing that was done unfortunately against these weaker sections was that social justice was denied to them. We have given them a guarantee in our Constitution that we shall give them economic justice; we have given them a guarantee that everyone is equal, and everyone should work according to his capacity and earn and lead his life.

In fact, I am speaking in support of my hon. friend's view. In spite of this 25 per cent reservation, we are compelled to come to this House to demand 25 per cent reservation on a Constitutional basis because this has not been granted to them. That is why I want to support the idea of the hon. Mover. In the situation which exists today, the hon. Mover has come forward with this Bill in order to seek the cooperation and sanction of Parliament that 25 per cent reservation should be granted. In fact, I would even go further and say that it should even be 50 per cent reservation, because we have given equal rights to them under the Constitution. A poor man is poor; he has been a victim, and he has been a weaker element in society which has been exploited. So, he must be given top priority and preference.

Yesterday, the hon. Prime Minister said that she had given a directive to all the Chief Ministers to create a special cell to look after the interests of the weaker sections of the people such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI V. MAYAVAN: All these are on paper only. The implementation part has failed.

SHRI R. S. PANDEY: I do agree with him, and that is why the cell has been created. I congratulate the hon. Prime

Minister, and the hon. Minister of State in the Home Ministry and also the Home Ministry that at least they are thinking very seriously over this matter and the Prime Minister has given them a very clear and precise directive to all the Chief Ministers to create a cell in order to see that these people who have been neglected and have not been given equal rights are given preference.

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 25 परसेन्ट की जो बात है वह हम इसलिए चाहते हैं कि जो भी बीकर सेवशन हैं उनको पहले प्रिफेरेन्स देना चाहिये। हमारे यहां मध्य प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है, हर तीसरा व्यक्ति हरिजन है, हम अपने क्षेत्र को भूल नहीं सकते हैं और न अपने प्रदेश को भूल सकते हैं जोकि विपुल साधनों से सम्पन्न है लेकिन अभी भी गरीबी है और उसका एक कारण तो यह है कि हम उन तमाम साधनों से अभी भी विमुख हैं। यदि आप भी वहां पर साधन उपलब्ध करें तो मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से काम लोगों को दिया जा सकता है। सबसे पहले हम आदिवासियों और हरिजनों को काम देना चाहते हैं। अभी पिछले वर्ष प्रधान मंत्री जी वस्तर गई थी और उन्होंने कम से कम 25 म्थानों को हेन्डकाउटर में, कार में या पैदल चल कर देखा, अपनी आंखों से स्थिति का मूल्यांकन किया। उस स्थिति को देखकर उनके मन में निराशा का जन्म हुआ और उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्हीं लोगों को मुख सुविधा देना आवश्यक है क्योंकि अभी भी वहां पर संस्कार, सभ्यता और प्रकाश नहीं पहुंचा है।

श्रीमान्, इस देश में 3 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी प्रति दिन की खपत 8 आना है—यह मैंने आज के पेपर में पढ़ा है। ऐसे लोगों की संख्या करीब पाने चार करोड़ है। गरीब होना एक बात है, गरीब से भी गरीब होना एक बात है लेकिन जहां तक इस गरीबी का सम्बन्ध है उसकी कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती है। माना कि उन्होंने

[श्री आर० एस० पांडे]

एक शरीर धारण कर रखा है लेकिन न उनके पास भोजन है, न बस्त्र है और न कोई अन्य साधन हैं। उनकी एक दिन की खपत केवल 8 आने हैं। मैं नहीं समझता उनका जीवन निर्वाह कैसे होता है। इस प्रकार के लोग हमारे देश के नागरिक हैं जिनकी संख्या पीने चार करोड़ है। इसके अलावा 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की खपत 13 आने या 14 आने रोज आती है। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा संख्या में हमारे हरिजन और आदिवासी भाई शिकार हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है। परम्परागत रूप में उनको कोई जमीन या अन्य साधन दिए नहीं गए बल्कि उनका शोषण ही हुआ। विकास के क्षेत्र में भी वह अंधेरे में रखे गए। उनको शिक्षा भी नहीं दी गई। इस प्रकार से उनका कोई विकास नहीं हो सका। मैं समझता हूँ हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें, आर्थिक न्याय की दृष्टि से देखें, आत्मचेतना की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें या विकास की दृष्टि से देखें, इसमें आप संशोधन करें या न करें क्योंकि यह बिल तो पास होगा नहीं लेकिन फिर भी एक अवसर मिलता है बातचीत करने का और इसीलिए हम यहां आये हैं। आप कहते हैं कागज में रह जायेगा, कैसे रह जायेगा? मैं पूछता हूँ क्या यही स्थिति 25 वर्ष पहले भी थी। माननीय गृह मंत्री जी हैं वह बतायेंगे स्वराज्य मिलने के 25 वर्ष के बाद इस मन्दर्भ में कुछ न कुछ हुआ है, यह ठीक है लेकिन उससे हमको संतोष नहीं है। हम और भी बहुत कुछ चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमारे देश की पीने चार करोड़ जनसंख्या 8 आने की खपत पर अपना जीवन बिताये और 22 करोड़ जनसंख्या 15 आने पर अपना जीवन व्यतीत करे। हम चाहते हैं उनका विकास हो विशेषकर उन लोगों का जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, जिनसे साधन छीन कर कुछ

लोग बड़े हुए हैं। उन बड़े लोगों को नीचे लाने की जरूरत है और जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाने की जरूरत है।

श्री श्रीकार लाल बेरवा (कोटा) :
 आज पांडेजी का भाषण सुनकर ऐसा मालूम हुआ जैसे इस बिल का रेप्लाय उन्होंने ही दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे गृह मंत्री बोल रहे हैं। लेकिन उनके कुछ शब्दों को सुनकर लालायित होना पड़ा, बिल्कुल खरख्वाही थी और जिस क्षेत्र से वह आये हैं उसमें पानी भी नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है कि कहां तो वे आदिवासियों, हरिजनों, इस देश का 55 करोड़ जनसंख्या में 35 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और निचले लोग हैं, उनको पाना, राटा, भोजन, शिक्षा प्रदान करने में मंत्र्यन थे लेकिन अपनी कास्टोटुएन्सी की तरफ उन्होंने नहीं देखा।

धन्यवाद है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। समापति महोदय, मुझे यह कहना है कि 25 परसेंट जो रिजर्वेशन है यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं होना चाहिए, बल्कि जनरल कास्ट्स का होना चाहिए। अब तक जो इन लोगों का रिजर्वेशन चला आ रहा है उसकी जगह क्यों नहीं सवर्ण जातियों का रिजर्वेशन हो? पहले 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया था, सरकार कामयाब नहीं हुई, और जैसे लूप लगाने में सरकार 300 करोड़ रु० खर्च कर रही है इसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के लिये 300 करोड़ रुपया खर्च किया। बताइये कि कहां तो उनका उत्थान और कहां लूप लगाने का धंधा। फीमिली प्लानिंग में देखो तो निकल गया 450 करोड़ तक।

इसलिए मैं यह कहता हूँ कि जहां भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 25 परसेंट रिजर्वेशन हो वह केवल सेलैक्शन तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रोमोशन में भी उतना ही प्रतिशत रिजर्वेशन रहे। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि राष्ट्रपति के यहां

फोटोग्राफर भी शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं मिला। और जो रक्षा मन्त्रालय है उसके अन्दर चपरासी की जगह खाली है लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का कोई कैंडीडेट नहीं मिला। रिजर्व बैंक आफ इंडिया में जगहें खाली पड़ी हैं, वह कहते हैं कि हमें कोई माकूल लड़का नहीं मिलता। पता नहीं माकूल की क्या परिभाषा है? पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, लेकिन टैस्ट में, प्रैक्टिकल में, दोनों में अगर चाम आता है तो उसे फेल कर दिया जाता है और चाम काट दिया जाता है। लेबर मन्त्रालय के अन्दर देख लीजिए। जिस वक्त माननीय सजायवां थे उस समय 5 परसेंट भा रिजर्वेशन वांटे नहीं थे, उसके नहीं थे, उसके बाद में अब कहीं 9 परसेंट हुए हैं। रेलवे में स्वायत्त को जगहों में कोटा पूरा है। लेकिन ए. वा. सा. और डी कैंटेगरो में कोई भी नहीं है। किसी में, 5 परसेंट, किसी में 7 और किसी में 9 परसेंट लोग मिलेंगे। आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कहीं नौकरी खाली होती है तो बी० ए०, एम० ए० और पी० एच० डी० करते हुए लड़के एप्लाई करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। किसी विभाग में अगर कोई मद्रासी या गुजराती बड़ा अफसर बन जाता है तो 10 मद्रासी, गुजराती भर लेता है। इनका क्या मतलब है? इनका कोई मालिक नहीं है? सरकार तब समझेगी जब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हाथ में डंडा होगा।

मैं प्रधान मन्त्री जो मे निवेदन करूंगा कि 10 साल तक उनसे वोट लेने की खातिर आपने उनके लिए रिजर्वेशन रखा, अब ये 10 साल कुछ रूमे आये हैं जिसके अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के पढ़कर होशियार हुए हैं, नौकरी के लायक हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि इसका मन्त्रालय ही नहीं है, पिछलग्गू की तरह लगा रखा है, कभी गृह मन्त्रालय में लगा दिया तो कभी शिक्षा और समाज कल्याण

मन्त्रालय में लगा दिया। मेरा कहना है कि जब तक अलग मन्त्रालय नहीं होगा तब तक इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हर एक मन्त्रालय खाली पड़ा हुआ है, कोई कुर्सी नहीं मिलती, बी० ए० एन० एन० बी० करने हैं जज्जी में बकालत करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। फिर आप बताइये कि क्षात्रवृत्ति देकर आप क्यों पढ़ाते हैं? माननीय मोहन लाल मुखाड़िया जो ने एक दफा कहा कि नौकरी का ठेका हमारा नहीं है। जब सरकार ऐसे कह देगी तो इन लोगों का उत्थान कैसे होगा। आखिर इनके उत्थान का ठेका किसका है? केन्द्रीय सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि हमारे पास खाने का दाना नहीं है, हम क्या आपको सहायता करेंगे। तो क्या इस तरह से आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों को वाच में लटकाए रहेंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे? राजाना अबबारों में पढ़ने को मिलता है कि दो महिलाएँ जला दी गई, एक आदमा की हत्या कर दी गई। किसी को आपने पकड़ा है? अस्पृश्यता निवारण के अपराध में 10 साल में आपने कितनों को पकड़ा है? एक को भी नहीं। आपने 25 परसेंट रिजर्वेशन दिया है, खुशी की बात है, रेलवे के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनमें कोई आपको इन जातियों का नहीं मिलेगा। अब कुछ लड़के हमारे कलेक्टरों में जाने लगे हैं, कुछ कलेक्टर बन गए हैं, ए० डी० एम० बन गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो केन्द्रीय सरकार के महकमे हैं उनमें तो कोटा पूरा कोजिए। लेकिन नहीं, आप कहते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार आपको कहती हैं। अगर कहीं कोई इन जातियों का आदमी है और उसके हितों की रक्षा के लिए कोई प्रयास भी करे तो नाराज होकर उसकी प्रोप्रेस रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। यह हाल चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन

[श्री श्रींकार लाल बेरवा]

है कि जैसे डायरेक्ट सेलेक्शन में आपने इन लोगों का रिजर्वेशन रखा है, इसी तरह से आपको प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। श्री टेस्ट की प्रथा आपको हटानी पड़ेगी। विद्या के आधार पर उनको पढ़ाइये। ऊचे अफसरों के चक्कर में डालकर उनको पाठे न धकेलिए। इसलिए मेरा कहना है कि अब तक रिजर्वेशन हमारा हुआ, अब आप लोगों का होना चाहिए।

श्री नाथूराम अहरिवार (टीकामगढ़) : मान्यवर, जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 25 सालों में हमने देखा कि हरिजन और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में जो स्थान सुरक्षित किये गये और जो उनका रेक्यूटमेंट हुआ, जो चुनाव हुआ, वहाँ पर सरकार ने एक ऐसा व्यवधान डाल दिया कि अगर कोई मूटेबिल कंडिडेट न मिले तब वह जनरल कैंडिडेट से भर दी जायगी। जो वहाँ पर चुनाव करने वाले हैं उनको पूरा डिस्क्रिशन मिल गया कि किसी भी कैंडिडेट को अनमूटेबिल कह कर रिजेक्ट कर दो और उसकी जगह जनरल कैंडिडेट से भर लें, और हममें बड़ा भाई भनीजावाद चलाता है। अगर भाग्यवश कोई लड़का अच्छे पद पर आ गया तो उसकी खैर नहीं, उस महकमे में ऊपर से नीचे तक सब उसका ऐसा देखते हैं जैसे बकरियों के बीच में भेड़िया आ गया हो। मान्यवर, अगर कोई ब्राह्मण चपरासी होता है तो पानी नहीं पिलाता है। मैं लखनऊ गया था वहाँ पर पी० एण्ड टी० विभाग में एक क्लाम 1 अफसर अच्छा काम करने वाला सीनियर सुपरिन्टेंडेंट के पद पर आ गया, उसको वहाँ का पी० एम० जी० कहता है "चमरा माले तेरे इतने दिमाग बढ़ गए हैं, मैं तेरी नोकरी खत्म करके छोड़ूँगा"। उस बेचारे ने हाथ जोड़े कि मुझे बचाओ। मैंने बड़ी भाग दौड़ के बाद उसका ट्रांसफर कराया। इस तरह से होनहार लड़कों को आगे नहीं बढ़ने

दिया जाता है।

जब सरकार के आंकड़े मिलने हैं कि हरिजनों और आदिवासियों का कितना प्रतिनिधित्व हुआ तो स्वीर्स की संख्या पूरी भर जाती है।

कहीं कहीं पर क्वैरिक्ल के ग्रेड 3 में थोड़ा सा परसेंटेज जरूर हो जाता है, लेकिन क्लाम 1 और क्लाम 2 में आपको कोई हरिजन या आदिवासी नहीं मिलेगा। उन लोगों का बहुत ही कम परसेंटेज वहाँ पर है, विन्कुल नगण्य जैसा है।

यह बड़े खेद की बात है कि देश में सरकार ने 300 करोड़ रुपया हरिजन और आदिवासी लोगों के स्कॉलरशिप और दूसरी मदों में खर्च किया है, वह लड़के पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है। वह लोग पढ़ लिखकर इंजिनियर और डाक्टर बन जाते हैं और अच्छे ओहदों पर पहुँच सकते हैं, लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सेलेक्शन कमेटियों में कोई हरिजन या आदिवासी नहीं रखा जाता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हरिजन कैंडिडेट हों उनका सेलेक्शन हरिजन और आदिवासी कैंडिडेट्स में से होना चाहिए न कि जनरल कैंडिडेट्स में से। अगर कोई सीट रिजर्वड है और उनके लिए 50 लड़के आते हैं तो उन 50 लड़कों में ही कम्पटीशन होना चाहिए। जब तब आप ऐसा नहीं करेंगे, उन लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। आप जो यह कह दिया करते हैं कि कोई मूटेबिल अथवा उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला, इस चीज को हटा देना चाहिए और जो भी हरिजन या आदिवासी सेलेक्शन कमेटी में रखे जाएं उनके डिस्क्रिशन पर उनका सेलेक्शन होना चाहिए। जब तक इस तरह की फीसिलिटी नहीं दी जाएगी यह लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

पिछले हफ्ते मेरे पास एक ब्रादमी आया उसने बतलाया कि सेक्रेड क्लास ग्रेड में शेड्यूल्ड कास्ट के ब्रादमी को लिया जाता था, लेकिन पहले मे कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि एक दूसरे ब्रादमी को जो आठ साल जूनियर था उसको प्रमोशन दे दिया और शेड्यूल्ड कास्ट वाले की सर्विस बुक में ऐसी एंट्री कर दी कि उसका करियर खराब हो गया। इस तरह मे हमेशा इन लोगों को परेशान किया जाता है। रेलवे या दूसरी सरकारी नौकरियों के अलावा जो पब्लिक अन्डर टेक्निशम हैं वहां तो हालत यह है कि इन लोगों को लिया ही नहीं जाता। वहां जो चयन कमिनियां होती हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्रादमी तो लिये नहीं जाते हैं, जो मैनेजर वगैरह होते हैं वह अपने लोगों को उसमें ले लेते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों को उनमें नहीं लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में जो पब्लिक अड्गटिकिंग होती है उसमें प्रधान मन्त्री महोदय पीपुल्योडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए कि उनके यहां कितने लोगों का चुनाव हुआ, उनमें हरिजन और आदिवासी कितनी तादाद में एपियर हुए, उनकी योग्यतायें क्या थी और उनमें से कितने लिए गए।

अभी पिछले साल होम मिनिस्ट्री के लिए किसी परशियन टीचर की जरूरत थी। एक लड़का मेरे पास आया। वह एम० ए० फर्स्ट क्लास था परशियन में और पी एच डी भी था जबकि वह जगह ग्रेजुएट के लिए थी। लेकिन उस लड़के को नहीं लिया गया, एक सेक्रेड क्लास केन्डिडेट को ले लिया गया। मैंने श्री मिर्धा को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उत्तर दिया कि एडेहाक बेसिस पर ले लिया गया है लेकिन असलियत यह है कि हेड आफ दी डिपार्टमेंट थे वह उसको नहीं चाहते थे हांलाकि वह एम ए और पी एच डी था। उस जगह

को डिरीजर्व करके जनरल कैडिडेट को ले लिया। हांलाकि पहले वह सीट रिजर्व थी लेकिन कह दिया चूकि कैडिडेट नहीं मिल रहा है इसलिए उसको डिरीजर्व कर दिया गया है। जो सरकारी अधिकारी हैं वह भी अपनी मनमानी दम तरह में करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में बराबर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और उन पर नियंत्रण रक्खा जाना चाहिए। साथ ही जो हरिजन प्रतिनिधि सेलेक्शन बोर्ड में रहें उनको इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह देखें कि वास्तव में चयन सही ढंग से हुआ है या नहीं। जब तक आप बारीकी से इस बात को देखने के लिए कोई सेल न बनयेंगे तब तक हरिजन और आदिवासियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। आप भले ही उनके 25 परसेंट रिजर्वेशन कर दीजिए या 50 परसेंट कर दीजिए, जब तक उसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाएगा तब तक उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।

यह कहा गया कि पंच-वर्षीय योजना में हरिजनों और आदिवासियों को जमीनें बांटी जाएगी। जब लोग जमीन बांटने आते हैं तो पट्टे तो उनके नाम बनाये जाते हैं, लेकिन कब्जा बड़े आदिमियों का होता है। हजारों ब्रादमी रोते रहते हैं। मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो वह लोग कहते हैं कि हमने तुमको एम पी बना दिया, लेकिन हमको जमीन नहीं मिल रही है। हम कैसे लट्ट लेकर लड़ें? जमींदार हमारी परवाह नहीं करते हैं, पटवारी कहते हैं कि हमें पता नहीं है। कलेक्टर कुछ मुनता नहीं है। सरकारी कागजों में तो यह हो गया कि हमने इतने लाख एकड़ हरिजनों और आदिवासियों को दे दी, लेकिन 5 प्रतिशत जमीन पर भी हरिजनों का कब्जा नहीं मिला। यह सब ऐसी बातें हैं जो हमको एहसास कराती हैं कि हरिजनों और आदिवासियों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। हम कहते हैं

[श्री नाथूराम अहिरवार]

कि हमने पिछले 25 सालों में हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर 3000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हरिजनों और आदिवासियों पर मुश्किल से 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 200 करोड़ रुपया तो संस्थाओं पर खर्च हुआ है, इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च हुआ है। अगर 1 लाख रुपये के स्कालरशिप वांटने की बात कही जाती है तो उसमें से 90 हजार इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है। 10 हजार रुपये के स्कालरशिप वांटे जाने हैं। यह शंकर जी के नादिया की तरह से हो गया है जिसमें साधू दुग्गी पीटकर सबसे पैसे मांगता है और जो बैल उसके साथ रहता है उसमें छुआ कर सब कुछ अपनी झोली में डाल लेता है। इसी तरह से आज हरिजनों और आदिवासियों को भी नादियां बना लिया गया है। जमीन उनके नाम से मिलती है लेकिन वह बड़े आदिमियों के पास चली जाती है। आखिर यह चीज कब तक चलने वाली है ?

मैं कहना चाहता हूँ कि अब हरिजन और आदिवासी लड़के पढ़ लिखकर तैयार हो गये हैं। अब सब कुछ उनकी समझ में आ गया है। अगर आप उनके अधिकारों को मांगने से नहीं देंगे तो वह उनको लड़ कर लेंगे। आज छोटे छोटे किसान और हरिजन तथा आदिवासी लोग पढ़ लिखकर तैयार हो गये हैं कि वह अपने अधिकार लड़ कर लेंगे। अगर सरकार ढिलाई करेगी तो वह उसको मजबूर कर देंगे। वह कहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं वह हमको मिलने चाहिए, हम ज्यादा नहीं चाहते लेकिन जो अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं वह हमको मिलने चाहिए। जब कभी हरिजनों या आदिवासियों को किसी दफ्तर में कुछ नौकरियां मिल जाती हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि देखो साले, चमारों और हरिजनों को कितनी जगह मिल गई है, यह कलेक्टर बन गये हैं, यह थानेदार बन गये हैं। चुकि

स्वर्ण लोग उनसे जलते हैं इसलिए बहुत दूषित वातावरण बन गया है। स्कूलों में हमारे लड़कों को लिया नहीं जाता है। और लिया भी जाता है तो शेडयूल्ड कास्टस के लड़कों को खासकर फेल कर दिया जाता है मैंने अपने यहां गांवों में देखा है कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों को आठ आठ साल तक फेल कर किया जाता है। वह सोचते हैं कि अगर वह पास हो जायेंगे तो मास्टर बन जाएंगे तब फिर हमारे हल कौन जोतेगा, हमारे बैलों को कौन हांकेगा, हमारी मजदूरी कौन करेगा। इस तरह का षडयन्त्र उन लोगों के खिलाफ चल रहा है। वहां ऊंची जाति के मास्टर बैठे हुए हैं। वह यह सब कर रहे हैं।

इसी तरह से मोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने हरिजनों और आदिवासियों को नौकरियां मिली हैं। वहां पर सब जगह पंडित लोग बैठे हैं और डंडे बजाने हैं। तब भी कोई इन्क्वायरी करने जाता है वहां पर जब उनको सही बातें नहीं बतलाई जाती हैं। जब तक वेलफेयर डिपार्टमेंट में इन्क्वायरी करने के लिए हरिजनों और आदिवासियों को नहीं रखेंगे तब तक कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार को एक ऐसी मशीनरी तैयार करनी चाहिए जो वास्तव में इन लोगों की पूरी देख रेख करे और हरिजनों और आदिवासियों के हित में काम करें। तभी सही इन्क्वायरी हो सकती है, अन्यथा नहीं। वही लोग इस बात की छान बीन कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है या नहीं। अगर किसी थानेदार ने हरिजनों और आदिवासियों को मारा और उसकी इन्क्वायरी करने के लिए कोई स्तर्ण आदमी गया तो वह इन्क्वायरी क्या करेगा ? मैं हाल में हमीरपुर जिले में बांदा नामक स्थान पर गया। वहां एक हरिजन औरत जमींदार के खेत से निकल गई

जिसमें गेहूँ बोया हुआ था। उसके बाद उसको बुलाकर हल में जोत दिया गया बैल निकाल कर। जब मुझको यह बतलाया गया तो मेरी आँखों में आँसू आ गये। वह जमींदार चूक मन्त्री के रिश्तेदार हैं इसलिए उनको संरक्षण मिल रहा है।

कहीं पर इस तरह की बातें हैं, कहीं रिजर्वेशन की बातें हैं। इस राज्य में उनको मनुष्य की तरह जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको नौकरी भले ही न मिले, लेकिन उनका मनुष्य की तरह जीने का अधिकार तो मिले। अगर वह मजदूरी भी करते हैं तो मनुष्य की तरह रहें, कोड़े मकोड़ों और पशुओं की तरह न रहें आज लोग अपने पशुओं को भी पक्के मकानों में रखते हैं लेकिन इन लोगों को अपनी झोंपड़ी में ठीक से रहने को नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके लिए क्या करने वाले हैं ?

मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप संविधान में चाहे जा भी संशोधन करें, लेकिन जब तक हरिजनों की दशा के बारे में गम्भीरता से नहीं सोचेंगे और उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पेशल सेल नहीं तैयार करेंगे तब तक हम हरिजनों और आदिवासियों के लिये कुछ भी नहीं कर पायेंगे। इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बोकारनेर गया हुआ था। वहाँ पर आदिवासी कलेक्टर है इस बात की बड़ा तारीफ हुई कि वहाँ पर हरिजनों और आदिवासियों को जमीनें बांटी गईं तीन चार गांवों में। लेकिन वहाँ ठाकुरों ने झगड़ा किया। उसने उनके खिलाफ मुकदमा चलया और कुछ ठाकुरों को सजा कराई। उसने जुए के झड़्डे को हटाया और सटटेबाजों के सटटे को हटाया। उसके खिलाफ 15 अगस्त

को जातीयता के नारे लगाए कि हमको चूड़ा चमार कलेक्टर नहीं चाहिए। खेद है कि सरकार ने वहाँ से उस कलेक्टर को हटाकर एक ऐसी लाइन में डाल दिया जहाँ वह बैठा हुआ फाइल देखता रहे। अगर हरिजन और आदिवासी कलेक्टर को आपने वहाँ से हटाकर डिप्टी सेक्रेटरी या डाइरेक्टर बना दिया तो इससे उन लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनको एग्जि-क्यूटिव लाइन में रखिये ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और उनके अधिकारों की गारन्टी होनी चाहिए।

ऐसी बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और कहता हूँ कि आज समय आ गया जब इस पर विचार किया जाये कि हरिजनों और आदिवासियों की चेतना जग चुकी है और उनको ध्यान से परखना चाहिये। और उनको मदेनजर रखते हुये हम इस बारे में ऐसे सक्रिय कदम ऊठाय जिससे कि आगे चल कर कोई ऐसी स्थिति सामने न आये जिसमें हरिजन और आदिवासियों के लिये कोई और कड़ा उठाना पड़े। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार उनको स्कूलों में, खेतों में, नौकरियों में और प्रमोशन वर्गों में बराबर जितना उनका रिजर्वेशन है उतना स्थान दे और उसके लिये एक कमेटी अलग बनाई जाये जो इस बात की पूरी छानबीन रखे और देखे कि जो स्थान उनके लिये सुरक्षित हैं वह उनको मिले या नहीं मिले।

श्री सरजू पांडेय : (गाजीपुर) : सभा-पति जी, यह जो संशोधन करने का प्रस्ताव श्री दण्डपाणि जी ने किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह हमारे देश की बड़ी विडम्बना है कि एक पूरी कौम को, एक जाति को, तमाम तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। समाज में न वह कुंए से पानी पी सकते हैं, न चारपाई पर बैठ सकते हैं, नौकरी में जाये तो वहाँ पीटे जाते हैं, थाने में

[श्री सरजू पांडेय]

जायें तो उनकी रिपोर्ट न हो। एक अजीब बात है कि 25 वर्षों के बाद भी हमारे देश के इस रुख में परिवर्तन नहीं आया।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे बस्तर के आदिवासियों के बारे में। मैं अभी वहां होकर आया और मुझे ताज्जुब हुआ कि पूरे इलाके में वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। रायगंज स्टेशन से उतरने के बाद 12 घंटे बस में सफर करना पड़ा। पूरे इलाके में सभ्यता का तो कोई नामोनिशान है ही नहीं। प्रधान मंत्री वहां सी बार घूम आई और वादा भी कर आई। लेकिन वहां हुआ कुछ नहीं। मालूम यह हुआ कि वाल्टेर से एक माल गाड़ी चलती है लेकिन उसमें आदिमियों के बैठने के डिब्बे नहीं लगाये जाते। इसमें तो कोई बड़े खर्च की बात नहीं थी। माल गाड़ी जब चल रही थी तो आदिमियों के आवागमन के लिये रेल के डिब्बे तो उन्में लगाये जा सकते थे ताकि दुनियां के और लोग, देश प्रदेश के और लोग वहां जाकर देखते कि क्या दशा है ?

नोकर्गियों में रिजर्वेशन का सवाल है। मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन अगर हो भी जैसा कानून आप आज बनाते हैं तो उस पर अमल कौन करे ? क्योंकि अमल करने वाले इसी में विश्वास करते हैं, वह दिन भर रामायण पढ़ते हैं, उसमें लिखा है— शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। ये सब डडा के अधिकारी। यही पढ़ने वाले सारे अफसर हैं। वही दफतर चलाते हैं तो उनसे आशा करना कि वह हरिजनों के साथ कोई भलाई का बर्ताव करेंगे वह कैसे सम्भव है ? रामायण रात दिन पढ़ेंगे, तमाम दुनियां भर को खुराफात सोचेंगे। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर वेद का पाठ हो रहा हो और हरिजन के कान में वेद मंत्र चला जाय तो उसके कान में सीसा डलवा दिया जाय। उन्हीं के लड़के बच्चे अधिकारी हो कर आते हैं तो उनसे आशा करना कि वह उस पर अमल करें, यह हमारी समझ में आता नहीं है।

एक तरफ शोशलिज्म दूसरी तरफ पाखंड, यह देश कैसे चलेगा ? सारे पाखण्ड से यह देश भरा हुआ है। एक एक तो आज यहां भ्रवतार हो गये हैं। और मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी एक साई बाबा यहां आये थे जिनके दर्शन के लिये मिनिस्टर लॉग हाथ बांधे खड़े थे कि हमको दर्शन मिल जाय। अभी एक यहां साधू आया जिमका सामान पकड़ा गया। बालयोगेश्वर जो भ्रष्टाचार का केन्द्र है उसको बचाने के लिये मंत्री लॉग पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैंने सुना कि उसकी तलाशी रोकने के लिये भी कोशिश की गई। तो जिस देश में इतना पाखण्ड है उस देश में हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता चाहे कानून आप कुछ भी बनायें। पाखण्ड से सारा देश भरा हुआ है। यही तमाम हरिजनों से नफरत फैलाते हैं, वर्ण-व्यवस्था के वकील हैं और देश हमें इस तरह की हवा पैदा करते हैं कि हरिजनों को आदिमी मत समझो, आदिवासियों को आदिमी मत समझो। तो ऐसे देश में यह सब कानून अगर बना भी गये तो उसमें कोई उनका भला होने वाला नहीं है।

लेकिन एक बात मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन आया है इसे तो आप स्वीकार कर लें। किन्तु इस बात की व्यवस्था करें, पहले तो रिकॉर्डेशन है उनमें से कितनी पर अमल हुआ; कितनों पर अमल नहीं हुआ, न यह जानकारी सदन को होती है न मेम्बरों को होती है, तो पहले तो यह देखा जाय कि कितनों पर अमल हुआ कितनों पर नहीं हुआ। और ये जो मुख्य मंत्री लोग बैठे हैं जो किसी चीज पर अमल नहीं करना चाहते उसकी भी कोई दवा आप के पास है या नहीं ? (व्यवधान) वह तो हमारे ही प्रदेश के एक मंत्री जी हैं (व्यवधान) नाम मैं नहीं ले रहा हूँ

सभापति महोदय : देखिये, एक बात है। नाम आप लीजिये या न लीजिये। लेकिन सारे चीफ मिनिस्ट्रों को आप कंडेम करें इस तरह की भाषा में यह उचित नहीं है।

श्री सरजू पांडेय : हमारे कहने का मतलब यह है कि (ध्वजधान) . . . अच्छा हम और कुछ कहें उनके लिए, हमारा यह कहना है कि ये जो मुख्य मंत्री लोग हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का सारा भार है, आप यहां कुछ भी कानून बना लीजिये

सभापति महोदय : यह शब्द नहीं जायेगा रेकॉर्ड पर।

श्री सरजू पांडेय : अच्छा साहब, वापस ले लेता हूं और कुछ कहें तो कर दें, माफी मांग ले, हाथ पैर पर गिर पड़े, कैसे छुट्टी मिलेगी उससे? आप यहां कहियेगा तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन हम हजारों लाखों आदमियों में कह सकते हैं। (ध्वजधान) अरे, पार्लियामेंट के मेम्बर तो आप भी हैं, मगर आप भी क्या क्या कहते हैं? अच्छा हमने वापस ले लिया मगर सारे लोग यही कहते हैं कि हम चाहे कहें या न कहें। उसको आप निकाल दीजिये।

मेरा यह कहना है कि अगर ये सब चीज देश में चलेंगी तो कभी हरिजनों का उद्धार नहीं होगा। आज भी मैं यह पूछता हूं, क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि कितने लोगों का ट्रायल हुआ अनटचेबिलिटी ऐक्ट में? आज जो लोगों को खाने नहीं देते, बैठने नहीं देते, बनायें कितनों का ट्रायल हुआ? आज मुझे मालूम है कि गुंडा ऐक्ट में और दूसरे प्रिवेंटिव ऐक्ट में पोलिटिकल आदमी पकड़े जाते हैं और उनको जेल में बन्द किया जाता है। लेकिन इनको किसी को नहीं पकड़ा गया जो देश में दुराचार और अत्याचार फैलाये हुये हैं जो लोगों में नफरत की भावना पैदा करते हैं। उनको जेल में भेजने के लिये कोई ऐक्ट इनके पास

रह है। यह ऐक्ट इनके ऊपर लागू हो सकता था, यद्दत्तो कानून इनके पास था। मगर उनको नहीं पकड़ेंगे। जो लागू देश की मानी हुई मर्यादा भंग करते हैं, जो हमारे संविधान में दिये हुये राइट्स हैं उनको लागू नहीं होने देते, नहीं मानते, उनके लिये यह कहते हैं कोई कानून नहीं है अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे गोली मारने की बात। तो गोली मारने की बात तो अलग है लेकिन समाज में असन्तोष होगा तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। जैसी दशा में आज हमारे देश के हरिजन लोग पड़े हुये हैं, जिस तरह से उनको रखा गया है, मैं समझता हूं कि उसी से समाज में गड़बड़ी उत्पन्न होगी और उसके लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं जो इस देश के कर्णधार हैं। यह सब आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे देश में आज हालत क्या हो रही है।

हमारे पूरब के जिलों में चले जाइये। आज भी उन आदमियों से अर्थात् काम लिया जाता है और जो नहीं करते हैं मुझे मालूम है कि उनको घरों में बांध कर मारते हैं। (ध्वजधान) पश्चिम में भी और पूरब में भी पूरे प्रदेश में हर जगह यही हाल है। उनको गोबरहा खाने पर मजबूर किया जाता है और हर तरह का अत्याचार उनके साथ होता है।

आप कानून यहां पर बनाइएगा, उस पर अमल होगा नहीं तो मेरा यह कहना है कि कम से कम कोई ऐसी मशीनरी निर्धारित कीजिये जो जा कर यह देखे। आपके पास आफिसर्स हैं, हरिजन कल्याण अधिकारी और न मालूम कौन कौन अधिकारी आप बनाये हुये हैं, ये अधिकारी भी ज्यादातर ऐसे विचारों के होते हैं जो हरिजनों से नफरत करते हैं। उनके दिलों में उनके लिये भावना नहीं होती है। एक आदमी एज ए क्रीड, विश्वास से यह बात मानता है कि इनका उद्धार होना चाहिये और एक आदमी महज कानून से

[श्री सरजू पांडेय]

मजबूर हो कर पैसा पाने की गरज से करता है तो दोनों में अन्तर है। अगर कोई आदमी विश्वासपूर्वक इन चीजों को करे तभी यह हो सकता है कि वरना ऐसा होने वाला नहीं है।

साथ ही साथ गृह मंत्रालय से मैं यह भी कहूंगा कि उन पांखडियों का भी इस मुल्क में रास्ता बन्द कीजिये, जो पाखंड फैलाये हुये हैं पूरे देश में, जिन की पूरी स्कीम है, जिनका पूरा प्रचार है कि हरिजनों से नफरत करो, ये चांडाल हैं, इस तरह की पुस्तकों को बंद कीजिये। इस तरह की शिक्षा चलती रहेगी देश में तो कभी भी आपके देश का निर्माण नहीं हो सकता। आज हजारों ऐसी किताबें मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं और आज वह चलती हैं, लोग पढ़ते हैं, उन पर विश्वास करने हैं और अमल करने हैं।

तो मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करें और जो भी कानून बनाने हैं उन पर अमल कराने का प्रयास करें क्योंकि देश में अमल की कमी है। मेरा विश्वास है कि इस संशोधन को आप स्वीकार करेंगे और आगे आने वाले दिनों में सिर्फ मगरमच्छ की तरह आंभू बहाने रो कुछ नहीं होगा। यह कानून बनाइये और उसका पालन करने के लिये आदेश दीजिये पुलिस को। हमारे यहां पुलिस का क्या हाल है बिना मंडर किये कोई मुकद्दमा रजिस्टर होता ही नहीं। कहते हैं कि यह कागनिजेबल आफिस ही नहीं है। ऐसा कानून पढ़ा दिया है पुलिस को कि जब तक आदमी की जान न मार दी जाये तब तक वह मुकद्दमा रजिस्टर ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि यह तो कागनिजेबल आफिस है ही नहीं। कितना भी किसी को कोई मारे पीटे, अघमरा कर दे कहती है पुलिस कि हम तो

इन्वेस्टी-गेट वर ही नहीं सकते हैं। इस तरह से पुलिस आज बोलती है। अब मुझे नहीं मालूम कि कागनिजेबल आफिस किसको कहते हैं, यह पुलिस को ही तय करना है। कि कागनिजेबल कान है कान नहीं है। यह तो उस दारोगा को तय करना है। दो सौ चार सौ रुपये पायेगा तो तय कर देगा कि नहीं है। दो सौ चार सौ उधर से पायेगा तो जो मामूली जुर्म है उसी को बढ़ा कर 307 का मुकद्दमा दर्ज कर देगा। क्योंकि यह फैसला तो उसी को करना है।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप यह कानून जो बना रहे है वह बनायें और स्टेट गवर्नमेंट्स से कहें कि जो लोग हरिजनों पर हमने करने हैं या किसी तरह का क्राइम, उनके साथ हो तो उनके मुकद्दमें रजिस्टर हों, उनको वाकायदा ट्रायल किया जाय और उनको सजा दी जाय। इसके साथ साथ जो उनके लिये नौकरियों में सुरक्षा की व्यवस्था है उसकी पूर्ति करें और पूरा प्रयत्न समाज को बदलने का करें, तभी कल्याण हो सकता है।

16.6 hrs.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): Mr. Chairman, Sir, may I at the outset congratulate my hon. friend, Mr. Dhandapani, for having tried to focus the attention of the Parliament and the people at large on a matter of vital importance through the instrumentality of the introduction of this Bill? The purpose that could be served, as is the experience in this House, by the introduction of a non-official Bill is to draw the attention of the House and the people on certain issues which agitate the minds of the Members of the House and the public at large. I am sure, Mr. Dhandapani also does not expect of this Bill anything more than that.

Taking that into consideration, I should like to express my appreciation of the noble sentiments that prompted him to frame this Bill and bring it before the House. As to whether the Bill should be accepted, that is an entirely different matter because the consequences that may follow, the constitutional implications

that it will have, the constitutional viability and all that will have to be taken into consideration when a constitutional amendment is accepted.

When the deplorable plight of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people is mentioned, I have no doubt that there will be no reservation on the part of anybody in this House in the matter of trying to alleviate the sufferings and difficulties that noble communities are facing. But I would like to emphasize one aspect of the matter and that is, when emphasizing the difficulties which these communities are facing, let us not be forgetful of the fact that the Government has been trying as best as they could consistent with the spirit and the motivation of the Constitution to act up to the prescription of the Constitution.

What Mr. Dhandapani is seeking is that 25 per cent of public services should be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by a constitutional amendment, that is to say, to give it a statutory force, a constitutional force. The real weakness of the whole structure is not that there is no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is reservation for them. The Constitution has got certain provisions, article 16(2) and 16(4) which very specifically point out that equality of opportunity for appointment is subject to the consideration that weaker classes of communities are taken care of. Article 335 which is now sought to be substituted by this new provision also calls upon the State to take into consideration the claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Article 46 also takes care of the weaker sections of the people.

The question is: Has the Government in the course of all these years by framing of their rules tried to satisfy these mandatory provisions of the Constitution? I would very humbly submit that it would be seen by reference to the relevant orders that, to the best possible extent, this has been attempted. I was just talking to the Minister and wanting to know what the present position is. The information that I have got is rather revealing and that information may be

taken into account when we try to consider the means for removing a particular deficiency.

The present position is that as per 1971 census, the Scheduled Castes population is 14.6 per cent and the Scheduled Tribes population is 6.94 per cent. For open recruitment, as against 14.6 per cent, the reservation for Scheduled Castes is 15 per cent and the reservation for Scheduled Tribes is 7 1/2 per cent. As regards recruitment, that is, otherwise by open competition, the reservation is 16.23 per cent for Scheduled Castes, and 7.5 per cent for Scheduled Tribes. The total is 24.16 per cent. 25 per cent is what my hon. friend has asked for as a Constitutional provision.

Another provision that has been asked for is, if there is any place which is not filled up, that may be carried forward for another two years. The present position is that carry-forward is there not for two years but for three years. Carry-forward of unfilled places not for two years but for three years is what is now provided for.

The third provision is that 75 per cent of the total available posts may be kept reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of carry-forward filling up. There was a provision. The Supreme Court came and said that more than 50 per cent could not be reserved. What I am emphasizing is that you do not find here a Government which is miserly about this, which is rather reserved about this, but a Government which is going all-out, to the extent possible, to give concrete form to the sentiments that have been expressed in the Constitution.

Another provision which is sought to be incorporated in the Constitutional Amendment is that this reservation may be extended to the public sector undertakings also. I would submit that that is the position today. For the public sector undertakings, the Bureau of Public Undertakings have issued instructions to the effect that reservations may be made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on a particular percentage basis. It is not because that there are no rules and regulations that the Scheduled Castes and Scheduled Tribe brothers are not getting recruitment to this extent. The

[Shri C. M. Stephen]

real malady does not lie there. Mandatory rules, there are; rules and orders which have got the statutory force, which can be got implemented through a court of law, are there. Orders which have been issued in the name of President are there. Rules and orders which have got the directive force under the Constitution are there. But, unfortunately, in spite of these rules and orders, the Scheduled Castes and Scheduled Tribe brothers are not getting their places. That is the real position. Why? That, exactly, is the question. Would you be able to do it by a mere Constitutional amendment? Merely because you give it a Constitutional character, how is the implementation helped any further—unless we have got the consciousness, we have the collective striking force to get this done. It is one thing to provide for it in the statute, to provide for it in the rules and orders, and it is another thing to have it translated into practice. The difficulty is that translation into practice has not been to the extent anticipated.

Another thing which I find is this. Under article 335, there is a discretion left to the Government. The proportion of Scheduled Castes is moving up. Suppose the forces of the society are such, you may have to provide for a higher percentage. If you nail it to 25 per cent, there is no force, no authority in this country which can move it up further. Looking at the population figure, we find that reservation has been provided for at a level higher than what the population percentage would warrant. So, once you nail it to 25 per cent, no discretion is left. It may be that more may have to be provided in one particular section and less may have to be provided in another section, depending upon the qualifications of the available candidates and on the qualifications prescribed for various posts. Therefore, this flexibility is necessary. If you say '25 per cent of the services' what exactly do you mean? 25 per cent of the menial services or 25 per cent of all these classes of services—Class I, Class II, Class III and Class IV? 25 per cent of all classes or 25 per cent of different classes? These are things on which quite a lot of flexibility has got to be left.

That is why the framers of the Constitution, in their wisdom, adumbrated a principle, incorporated a directive principle, incorporated a principle under Art. 16, incorporated a principle under Art. 335, gave jurisdiction to the President to appoint a Commission and gave the Government powers to issue executive orders having executive force, even to State Governments and other administrative units in this country giving sufficient flexibility. This flexibility is now sought to be taken away.

17 hrs.

There is another difficulty of incorporating this as a constitutional amendment. That difficulty, as I said in the beginning, is that a very vital aspect is now thrown up for public discussion—the difficulties the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities are facing, the harassment they are undergoing, the treatment they are getting, the sub-human treatment they are being afforded to and the denial of rights they are being subjected to in spite of the constitutional provisions and in spite of the orders that have been issued by the Government from time to time.

We find that every political party is vying with one another in this House and outside, stoutly defending the protection of the rights of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We know the political parties in this country are powerful enough. They are powerful. Every political party is as powerful as any other political party. Every political party is very vociferous in their defence of the rights of the Harijan community. But the Harijan community is every day being persecuted. We hear of arson, we hear of torture, we hear of suppression, we hear of their being burnt alive. Quite a furore is raised but we do not find the political forces as such moving into action to protect them. Then, where exactly does the defect lie? And who is to be put in the dock?

Let there be less of talk about this and let the talk of the political parties in defence of the rights of this community come to an end.

Secondly, unless this community organizes itself, asserts itself, demands its right on the basis of the organized strength, no amount of statutory enactments will be able to safeguard this. This I can say by instancing areas where the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are organised. I can say this with reference to the State from which I am coming. The Scheduled Castes people, the agricultural labourers are organized there. They are powerful, they are a power to reckon with. Nobody dares to tamper with them because they are an organized political force. Conscious of their right, they assert their rights and they get their right, and more than their right. Where that organization does not take place, they cannot get their right.

Now, how can they organize? Certainly, not by themselves. It is where the political parties have got a role to play. They have got to assist them, to organize them and assist them to assert their rights and to fight for their right. Unless and until that happens, no amount of constitutional amendment, no amount of statutory enactment, no amount of orders issued from here and no amount of crocodile tears shed on the floor of the House is going to assist them. It is a tragedy, it is a paradox that in a country where political parties are so powerful, are able to do so much and able to raise so much of noise, in spite of the unanimous defence that all the political parties appear to be putting up in defence of the backward communities year after year, we find that day after day we hear stories of harassment, suppression, burning, arson, torture and sub-human treatment given to the Harijan community. Another furore, and the furore dies down and the poor man is again back in the same position, to be persecuted again. If there is something which has got to stop, it is this hypocrisy of the political parties which are appearing to be defending the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This hypocrisy should stop. As evidence of that, organize and re-organize the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Friends of the Scheduled Castes who are valiantly defending the

Scheduled Castes, their duty is more that they organize them and put them on a militant basis to fight for their rights, give them a sense of belonging to this country and that they are citizens of this country and that they have got certain fundamental rights and that their salvation is within themselves. That is the only solution to the whole problem.

The defect, as I pointed out, is not that there were no orders or rules. Orders and rules there were in detail, in great detail, but the defect was that there was no machinery, no force to get those orders and rules implemented. The orders and the rules which are in force are much better and more generous than the provisions which are sought to be incorporated by the amendment of this Constitution. By this amendment all that happens is this, namely, that you take away certain measure of flexibility which is what is absolutely necessary in the matter of implementing the spirit of the provisions which is sought to be incorporated. I whole-heartedly accept the very noble sentiments that have motivated the framing of the Bill and the presentation of the Bill for the consideration of the honourable House. I go all out, even 150 per cent. for accepting the sentiments behind it. I do appreciate the sentiments that motivated it. But I have only tried to pinpoint the practical aspects of the whole thing. I have tried to emphasise that at the Governmental level, both of the Centre and the States, there has been no hypocrisy as far as the enactment of the rules and orders so far as the Constitutional provisions are concerned.

Sir, implementation is something which has to be secured not by an outside agency but more so by the beneficiaries themselves, by organising themselves as a political force, and by fighting against enemies of the classes which are perfectly identifiable.

Sir, with these submissions, I would like again to emphasise that I applaud the sentiments behind the Bill, but I would submit, this Constitutional amendment is neither necessary, nor will it be an answer

[Shri C. M. Stephen]

to the problems which we face in this country.

*SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr. Chairman, Sir, our friend Shri Dhandapani has brought forward this Constitution Amendment Bill. This Bill aims to help in the progress of the down-trodden and the weaker sections of the society. It is commendable that this Bill came before this House. As stated by our friend Mr. Stephen, I heartily congratulate Shri Dhandapani for giving an opportunity not only to the members here but also to the people at large to express their feelings towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This also helps in focussing the problem which is exercising our minds. In this connection it is befitting that we should remember the father of the Nation, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi not fought with the British imperialists but also fought with the dogmatic Hindu society in order to ameliorate the conditions of living of these downtrodden people. He also saw to it that every Congress worker is imbued with these aims and works for the welfare and uplift of these people. That is why he addressed with the sacred name of "Harijans". Mahatma Gandhi, even after the attainment of independence, thought that unless these weaker sections of society socially and economically develop there would not be any real content in the political independence we got. He therefore, took up the implementation of several programmes for the uplift of these people. Thereafter it is a golden era in the annals of our history that Dr. B. R. Ambedkar, a person belonging to these backward classes was destined to preside over the drafting of our Constitution. In our Constitution we have enshrined all those principles which go to safeguard the interests of these children of God, because the Constitution makers thought that the high caste Hindu society would follow the same old custom of oppressing them. It can be said that considerable progress has been made within these 25 years.

The State Governments as well as the Central Government has done a lot for

the welfare and progress of these people. These Governments have done their utmost to create conditions where the social, political and economic welfare and honour of these people is ensured. Only with this in view Mahatma Gandhi went on his historic fast when an effort was made to create separate electorate for them. With this fast Mahatma Gandhi impressed upon the caste Hindu society the responsibility of looking after the various interests of these people. The result is the creation of safeguards for the progress of these people either in the election of representatives of people or in the opportunity of employment or in any other field of life. But unfortunately we have a bureaucratic set up which does not believe in all these precepts. That is why even after 25 years after independence we are still seeing several unfortunate incidents of oppression and persecution. We often hear complaints that the officers in the Governmental set up are not favourably disposed towards the welfare of these people. Shrimati Indira Gandhi, yesterday made a speech during the question hour on this issue. I also suggested that a special cell should be created to look after the interests of these people. There need not be any doubt about these people's welfare in our minds because the Prime Minister as well as various Chief Ministers of States are determined to see these people progress. But why are we still hearing the news of several atrocities committed on them? That is because as has already been mentioned by me the bureaucracy is responsible. A long time back I have suggested that the machinery for recruitment, whether it is Union Public Service Commission or the State Public Service Commission should be headed by a person belonging to these classes. If such a person heads these bodies then he will be able to understand easily the difficulties social, economic and otherwise, that are faced by these people in reaching a certain level in life. He would also be able to deal with them sympathetically and would implement the safeguards sincerely. I hope the Government will implement this suggestion in the near future.

In the economic field several programmes were taken up for their benefit. In

*The original speech was delivered in Telugu.

this connection, I must state here that some people either politicians or social reformers who come from these sections of people did not do as much as is expected of them. Unfortunately, we started practising the principle of self above community and community above the country. That is therefore why we still find even after a quarter of century, such ghastly incidents happening. If we are determined then it is possible for us to see that these people do not suffer injustice, because of the differences of caste, religion and or groups. Only because of that idea that Shri Dhandapani introduced this Bill. Here I would like to plead with Shri Dhandapani that he should not become instrumental in restricting the scope of progress by restricting the percentage to 15. I would join Mr. Stephen in commending the necessity of a certain flexibility in the matter.

There are several villages in this country where the Harijan Colonies do not enjoy even the minimum basic amenities like drinking water, electric power for household purposes and housing even though the rest of the villages enjoy them. I therefore submit that the Government should take the initiative in creating these facilities in such Harijan colonies. It is a very pitiable state of affairs that we are not able to create these facilities. Several families in these Harijan colonies wallow in utter poverty and dejection. The responsibility of helping these people squarely lies on the shoulders of the Government. The responsibility of creating not only the facilities for education but also for a reasonable employment lies on the Government. I therefore submit that facilities for their employment not only in public sector undertakings but also in the banks irrespective of nationalisation should be amply created. This is a social problem. Therefore it should be tackled on a plane above the petty political and economic differences. I therefore submit that we should all treat this as our sacred duty to see these people's progress. We should also help in checking and bringing to book all those elements which try to oppress these people. We must educate the people in our constituencies to live

up to their responsibility. Unless we make an all round effort it would not be possible to see this down trodden section come up in life, who constitute about 25 per cent of our population.

We must try to wipe out all those unprogressive and reactionary ideas from our hearts. We should erase the tendency in the minds of the people to look down upon others on the basis of caste or creed. We should feel ashamed to learn of such incidents when a subordinate refuses to give drinking water even to his superior simply because he belongs to one of these classes. I therefore once more submit that we must completely eradicate any reactionary tendencies from our minds. I submit that we must try inculcate and practice all those laudable principles that were propounded by great social reformers like Mahatma Gandhi, born in this country. Shri Dhandapani has created a great stir in the minds of the people here in the Parliament. I congratulate him once more for that. I would request him to withdraw this Bill while entreating the Government once more to see that these people get their share of social justice, economic equality and political power. I conclude my speech by expressing my gratitude for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्री मूलचन्व डामा (पावी) : समाप्ति महोदय, श्री दंडनाथि ने संविधान में संशोधन करने के लिये विधेयक रखा है। मैं समझता हूँ कि हमारा संविधान एक बड़ा भारी क्रान्तिकारी दस्तावेज है। जो कुछ भारतीय संविधान में कहा गया है, अगर उसके अनुसार चला जाता तो मेरे ख्याल से आज पार्लियामेंट में जो बात हो रही है वह ग़ौर ही तरह की होती। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट में इस प्रकार का बिल पेश होने पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं हम देखें कि वह कितनी संख्या में मौजूद हैं। जब इस सदन के अन्दर इतना महत्वपूर्ण बिल चलता हो उस समय कितने

[श्री मूलबन्ध डायग]

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हिम्मत के साथ अपनी बातें कहने के लिये आ रहे हैं? जो भी लोग बोल रहे हैं मेरी समझ में वह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं। यह बड़े खेद की बात है कि जिन लोगों को अधिकार मिले हैं, जिन लोगों को सुविधायें मिली हैं उन लोगों ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है।

मैंने देखा है कि जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मंत्रों के पद पर पहुँच गये हैं, उन मंत्रों के पद पर पहुँच गये हैं, राज्य मंत्री बन गये हैं, भाई भाई पर मुख्य मंत्री बन गये हैं, वह आकर हम से मिलने की कोशिश करते हैं, अपनी जाति के लोगों को छोड़ देते हैं। मैंने कई बार इन बात को नोट किया है। आखिर यह झगड़ा कैसा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जिन के लिये हम संघर्ष करना चाहते हैं, वह अपने लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। संघर्ष इस बात पर होता है कि नेताओं को दो चार गाँवियाँ दो और सुरक्षा बन जाओ। तुलसीदास के दो चार शब्द कह दो, रामायण की बुराई कर दो और बहादुर बन जाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि घृणा से काम नहीं चलेगा। मेरे ब्याल से घृणा मिटाने का इलाज प्रेम है। अन्धेरा मिटाने का इलाज रोगनो है, लेकिन हम लोग इस बात को करते नहीं। अगर कोई यह समझें कि हम दो चार इस तरह की बातें कहें तो उस से बहुत लाभ हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

एक बात जरूर है कि पड़ोसी के बल पर अगर स्वर्ग भी मिलता हो तो नहीं लेना चाहिये। किसी की मेहरबानी पर नहीं जीना चाहिये। हमारे लिये जो सुख सुविधायें आवश्यक हैं वह हम को मिलनी चाहियें। यह काम हमारे संविधान में किया गया है। लेकिन कुछ तो लोगों में

अपनी बात कहने की हिम्मत होगी चाहिये। किसी की मेहरबानी पर जीने से काम नहीं बनता। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें भी कुछ आगे आना चाहिये और मुकामला करना सोचना चाहिये ताकि भारी बातें ठीक से हों।

मैं इन बातों को लेकर कोई चुनौती नहीं देता, लेकिन हमारी सरकार इन कामों को करने में असफल रही। इस पर कोई कहेंगा कि नहीं, हम ने काम उठाया। आप ने काम उठाया लेकिन आप के काम उठाने के बाद काम करने वालों के इरादे भाक नहीं थे।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) :
5,000 भाल से चलकर रहे हैं।

श्री मूलबन्ध डायग प्राप मोच लोजिये उनका जो परिणाम निकलना है पञ्चवीस साल बाद उस को भी देख लोजिये। जिनों भी स्वीजि हुई हैं, उनसे तो हमें यही मालूम हुआ है। लेकिन एक बात है। वास्तव में अपनी दाढ़ी में साबुन लगाना सब जानते हैं। किस को किस की फिकर है, यह बड़ा रस है। अगर लोकतन्त्र और चुनाव न होते तो कोई इतने साहस भरे भावग न देते। चूंकि हमारा संविधान इस तरह का बना है और बड़े बड़े विद्वान प्रादमियों ने उसको बनाया है इस कारण बड़े बड़े लोग जितनी तेज तर्रार बात कह सकते हैं, वह हमें जरूर कहनी चाहिये, लेकिन आगे क्या होगा? चेंटर कनोज्ड। आज पञ्चवीस साल की आजादी के बाद भी सफाई पेशा लोग हेड लोड ले कर चलते हैं। हरिजन अभी तक अपने सिरों पर गन्दी ले कर चलते हैं। आज से पन्द्रह बीस साल पहले मलकानी कमेटी बनी थी। उस ने कहा था कि यह बड़ा भारी कर्ज है, यह अभिशाप है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी बात है, इस के लिये धानून बना लिया जाये। लेकिन आज तक कई जगहों पर गाँवों में हरिजन लोग अपने

मस्तक पर गन्धों ले कर चरते हैं । अब अगर यह कर्तव्य है तो है, अभिगाप है तो है, लेकिन कहने में कितनी आदमी को कमी नहीं करनी चाहिये, बोलने में, सहानुभूति लेने में, कितनी की हमदर्दी जीतने में कमी नहीं होनी चाहिये ।

अगर सरकार का इरादा मजबूत होता है तो सफलता मिलती है । अगर आप के कदम सशक्त हैं तो मंजिल पर पहुँचेंगे । लेकिन कदम सशक्त नहीं हैं, अगर के काम करने के तरीकों में कोई विश्वास नहीं करता । इस लिये आज लोग खुशी बात कहते हैं । कहते हैं कि अनटचेबिलिटी ऐक्ट से लाभ लें । लेकिन आज दूसरे लोग कहते हैं कि जर्मनों के मामले में हम लोगों को कुछ करने का जरूरत क्या है ? हम को कुछ लोगों को दबा कर रखना है । आज मनुष्य इस तरह से सोचने लगे हैं । इन्सान में इन्सान को दबा कर रखने का आदत होता है । वह समझते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं । हमारे पास दोना है तो हम शक्तिशाली बनें । वह शक्तिशाली बनना चाहते हैं और दूसरों को दबाना चाहते हैं । अगर यह दबाने का मनोवृत्ति न होती तो जीतने भी समाज कल्याण के डिपार्टमेंट है उन में ठीक से काम होता ।

अब हम समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो मालूम होता है 18 पैसों में बच्चों को पोषाहार मिलेगा । इन के लिये अब एक नई पद्धति चली है । बच्चे खड़े रहते हैं गिलास लेकर और फोटो खिचवाते हैं । मंत्री साहब खड़े हुए हैं और बच्चों को पोषाहार 18 पैसे में दे रहे हैं । बालाइये आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं । क्या 18 पैसे में बच्चों को फोड किया जा सकता है? 18 पैसे में शर्कर की सारी सड़ी

हुई डबल रोटियां लाते हैं । उनमें ठेकेदार भी शामिल हैं, दूसरे काम करने वाले शामिल हैं । इन तरह से आप 18 पैसे में सब कुछ देना चाहते हैं । लेकिन यहाँ कोई प्वाइंट सुनने का सवाल नहीं है । आज पन्चौन साल गुजर गये, अब चेत जागो तो सुन लेना । यह सवाल नहीं है । सवाल एक है कि हमें जैसे अपनी जिन्दगी बितानी है, अपने को व्यवहार कुशल, होशियार और समझदार बनाना है और बेलैस्ड रखना है । और कुछ नहीं है । अगर हम लोग इस प्रकार की बात समझ जायें कि हमारा यह अभिगाप है, हमारे हिन्दू लोगों के लिए यह एक कर्तव्य है कि हम ने इन को तोबा रखा, इन्हें ऊपर उठाना है तब तो उस दिन के बाद यह चोख होगी अगर इस तरह के काम करने के इरादे हमारे हुए । वरना, अभी आप कानून गिनाएंगे कि हम ने यह काम किया, वह काम किया, हम ने यह कानून पास किया । मैं कहता हूँ कि अगर ने चाहे किया हों कानून पास किया, उन कानूनों को अर्न्त कियाओं में रखने के लिए या बर्बादियों पर पढ़ने के लिए पास किया, लेकिन उन का इच्छा-मैटेशन क्या है ? हम तो इस बात को पूछते हैं । आप जानते हैं कि गरीब को तो खराद सकते हैं । आज आप कहते हैं कि मानव महिमा और गरिमा को हम रखना चाहते हैं । जीवन के मूल्य बदल गए हैं । लेकिन जीवन के सारे संबंधों का, निर्णायक पैसा है । जितने के पास धन है जो पैस बाजा है वह अकल वाला है । जो गरीब है उस का क्या है ? कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप दुनिया में गरीबी है । जित दिन गरीब उठ जायगा, उसका स्वाभिमान जायेगा, उसका आत्मभिमान जायेगा, वह समझ जायेगा कि समाज ने उसे कुचला है, तो उस दिन वह उसके बिनताक आवाज करेगा, मेहरबानों को भीड़ नहीं मांगेगा । वह संविधान के धारकों के अन्दर अन्त अधिकांशों के लिए बगावत करेगा । मंत्रों को मान्य है कि लैकॉन्ट्र में हम इस तरह से

[श्री मूलबन्ध भाग]

चुनाव जीत सकते हैं। मुझे मालूम है कि लोकतंत्र में इस प्रकार से निकाला जा सकता है। वकील को मालूम है कि हमारा टिकाव इस प्रकार यहाँ पर है। मैं कहता हूँ कि लोग इस बात को समझें कि इंसान इंसान में इतना भेद है, मानव मानव को इस तरह देखता है, उनकी गन्दा पानी पीने को मिलता है, उनकी गन्दगी में रहना पड़ता है, गन्दी बस्तियों में रहना पड़ता है, यह अमिशाप अगर समझने लग जाय कि हमारे लिए यह कतंक है तो हमारा कदम इसके लिए उठ सकता है।

जितने शेड्यूल कास्ट के एम० एन० ए० और एम० पी० लोग हैं वह लोग चुनाव में कारगर बनने के बाद क्या कहने हैं? वह कहते हैं कि हमारी जाति के लोग समझने नहीं हैं। बड़े समझदार आप आए हो? अब आप आज बहुत समझदार हो गए हो? अपने समाज के उन लोगों को उठाने का काम दूसरे लोगों पर छोड़ देना चाहते हैं और कानून पर छोड़ देना चाहते हैं तो कानून से सारा समाज नहीं उठ सकता। कानून आज चाहे माननीय सदस्य संशोधन ला कर संशोधन कर लें लेकिन कानून से समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमारे विचारों में क्रान्तिकारी भावना हमें लानी होगी और वह तब आ सकती है जब कि उन विचारों के साथ साथ उस आदमी को उस बातवरण में रखा जाय। उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन जिन के पास काफी दौलत है उन लोगों को इस बात की चिन्ता नहीं है। उनको इस बात की चिन्ता है कि हम दुनिया में कितने की भी पैसों के बल पर खरोंद सकते हैं। इसलिए आप कौन सा काम करना चाहते हैं? आप काम यह कहिए कि जो पूँजीपति हैं जिनको फिजूलखर्ची और दिखावे आदि के कारण समाज में दो वर्ग बन गए हैं अमीर और गरीब, अमीर अमी तब अमीरी करता है और

गरीब अमी तब बँडे बँडे जमीन खोदता है, जिसका कोई निर्माण नहीं हो सका, तो सबसे पहला काम आप कोजिए गरीबी मिटाने का। सबसे पहले गरीबी मिटानी चाहिए। आप कहेंगे कि हमने केंद्र प्रोग्राम कर दिया, लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यह धीमे धीमे उठाए हुए कदम 25 साल में कारगर नहीं हुए। कदम उठाना है तो मजबूती से उठाए और एकदम से इन चीजों को उठा कर फेंक दें। आप कहेंगे 1962 में कानून पास किया, हमने 25 हजार को जमीन दा। मैं क्यों नहीं मानूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप को हजार रुपये में मकान बन नहीं सकता है। यह आप ने गलत किया है। गरीबों को बढ़ाना है तो ठोस और यज्ञकृत कदम उठाने पड़ेंगे।

जितनी कितने आप को निकलती हैं मैंने सब पढ़ा है। आज हर जगह आप के विभाग के आदमियों को उन का कोई फिक्र नहीं है। पुलिस को फिक्र नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आदमियों पर कोई अपराध हो गया है तो उस के ऊपर तुरन्त कदम उठा दें। वह चाहता ही नहीं है। आज समाज में जो इस तरह के लोग हैं सारे एम० पी० और दूसरे लोग जितने भी हैं उन सब का यह काम है कि समाज में जो पददलित है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उन के लिए कुछ कदम उठाए जायें जिन से लोगों का विश्वास बनने लगे कि समाज हम को आगे लाना चाहता है। आप 25 साल के बाद लायेंगे तब तक तो हम कफो और आगे बढ़ चुके होंगे।

आज आप कितने भी काम को ले लोजिए, हरिजन और आदिवासियों की हालत उसमें देख लोजिए। जमीन आप देते हैं तो उनकी जमीन कौसी मिलेगी जो उपाऊ नहीं है, जिस जमीन में पैदावार नहीं होती है और फिर जमीन मिलने के बाद कर्जा नहीं मिलती। फिर आप कहते हैं ये नाकारिवल आदमी है, ये काम नहीं कर सकते। और जब उन जाये

तो उस पर कोई और अधिकार कर ले । यह तो उन को हालत है। तो आज अगर हम यह समझें कि हम ने उन के लिए बात यहाँ पर कह दो इस से काम चलने वाला नहीं है ।

..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप को स्पर्चा छोटी हो जाये अगर आप अपनी बात को दोहराये नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं दोहराता नहीं हूँ । दोहराने की इस में क्या बात है ? और वैसे यह जो बात यहाँ की जा रही है उस में दोहराने के सिवाय और है भाँ क्या ? 25 साल के बाद आप यहाँ बात तो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को हालत अच्छी नहीं है, उन को कर्जा दिया जाये, उन को और सुविधा दी जाये । तो यह नई बात कौन सी कहीं जा रही है ? 25 साल के बाद यह जो बात कहा जा रहा है यह और क्या है ? आप किसी भी बोलने वाले को खड़ा करें तो वह और क्या कहेगा सिवाय इस के कि इन लोगों को इतने दिनों में जिस मेजिल पर पहुँचना था उस मेजिल तक ये पहुँचे नहीं । यहाँ तो वह कहेगा ।

तो मैं एक बात यह कहूँगा कि सर्विसज के मामले में, सेलेक्शन के मामले में और जितने उन के सवालगत हैं उन को देखने वाला यह जितना समाज कल्याण विभाग है एक; दफा इम में आप परिवर्तन कीजिए और यह सब लोगों की ठीक राय है कि इस के लिए एक पूरा मंत्री अलग से होना चाहिए जो इस को देखे । आज कुछ तो होम मिस्ट्री में ले लिया है कुछ समाज कल्याण विभाग में थोड़ा सा छोड़ दिया है । इस प्रकार से यह जो विभाजन किया है यह ठीक नहीं है ।

दूसरी बात आज जितनी राजनैतिक पार्टियाँ हैं वह सब मिल कर इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि उन को ऊपर

उठाने की जिम्मेदारी उनकी है । केवल कहने से कुछ नहीं होगा । कहने में तो कोई कसर नहीं रखता । लेकिन काम करने में हम पीछे हैं । जो हमारा काम था, जो हमारे इरादे थे, जो हमारे उद्देश्य थे, जो भावना हम ने रखा था उस को अमल लाने की जरूरत है । खाली गर्दन हिलाति रहने से मन नहीं हिल सकता । और तेज गर्दन हिलाओ लोग कहेंगे कि बड़े मुनने वाले हैं, लेकिन सबाल यह है कि मन में वैसा भावना हाँगी तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ।

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): In this year of silver jubilee celebrations of our Independence, it is in the fitness of things that we bestow some thought and focus our attention on our less fortunate brethren. Mr. Dandapani by introducing this Bill, has now provided us with an opportunity to think of the less fortunate people, namely the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also other weaker sections of our society. Although we may feel satisfied that we are doing something for the amelioration of the socio-economic conditions of the weaker sections of our people particularly those who had been discriminated against for no fault of theirs except that they happened to be born in this or that community. I feel that much more has to be done.

In a recent survey of the socio-economic position of our people, it has been brought out that nearly forty per cent of our people live below poverty line. In my own constituency—there may be other constituencies also—the state of affairs is far from satisfactory. Therefore, it is very important that we should devise some ways and means by which we may take up this problem on an emergency basis. I know that the Home Ministry is taking great interest in this work. Since public opinion has been of late focussed on various issues concerning abolition of poverty not only the Central Government but even State Governments are paying

[Dr. Henry Austin]

much greater attention to this aspect of the problem. At least I know of one Chief Minister—there may be others too—Shri Siddhartha Snankar Ray of West Bengal who, whenever new appointments are made, checks up the list over and over again to find out and see that added representation is given to the weaker sections of the people, particularly those belonging to the scheduled castes and scheduled tribes.

This problem cannot be left as it is. The other day I was having a discussion with some friends about the drought situation. In this, one of the hon. Members of Parliament said that this drought situation was now being discussed with a sense of urgency but as far as the tribal people were concerned, in most tribal areas drought situation exists continuously, yet nothing has been done by the Government to meet this economic situation. But when some important States hit by drought they are given national attention and steps are taken to ameliorate the hardships faced by the people. Article 335 of the Constitution stipulates that claims of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken upto consideration in appointments to Government services. But this provision has been found to be inadequate. The State's activities are being extended to almost every field. There are proliferations of industrial activities in many areas. But, I am sorry to state that the scheduled castes and scheduled tribes have not benefited from the expansion of Government services. Take the statistics of the employees serving in the various public sector undertakings. I challenge anyone to show that scheduled caste candidates are holding responsible posts in public sector undertakings. There is hardly any one, therefore, we have to see that the weaker sections of the society are given their due. Although there are posts reserved for them when selections to services are made only very few of them get in. Somehow, this situation is there and we have got to remedy the situation. In I.A.S. and other competitive examinations

the same is the position. Of course, Shri Mirdha takes a great deal of interest in the matter and tries to solve the problems of the weaker sections. I should congratulate him. At the same time, we have to rouse the conscience of our people in this regard. We have to remember that one-fifth of our population consists of scheduled castes and scheduled tribes. That means one out of five belongs to this segment. This is an important segment of our society.

Another point I would like to highlight is this. Although we are trying to ameliorate the lot of these unfortunate brethren of ours through Constitutional procession of reservations and safeguards still a considerable number of those belonging to the weaker sections of the society, namely, the scheduled castes and scheduled tribes have been left out from the Schedule. I want to focus the Government's attention on this aspect of the problem. When some initiative is made to conclude one or more deserving communities in the Schedule by amending the Constitution there is tremendous resistance. This is not a just attitude to follow suffers from those who have already got the benefit. In my own constituency there is a particular community known as Kudumbi community who are in the lowest order of the society. I would say that 99 per cent or even 100 per cent of them are living below the poverty line and they have been clamouring for the last or over two decades for inclusion of their community in the Schedule. They have been seeking to amend the Constitution so that they would also be included in the Schedule. When the Prime Minister visited Kerala, these people organised a big rally and over a lakh of them paraded before her. She must have been impressed and she not an idea of their suffering and strong feeling. I am sure there are other communities also who are deprived of the benefits because they did not have powerful leaders at the time of the Constituent Assembly to get their communities included in the schedule. This aspect of the matter also has to be examined. Otherwise, it will be a gross discrimination. Article 46 enjoins on the Government to promote with

special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, particularly the scheduled castes and scheduled tribes. Have we taken note of this article seriously? I think occasionally we should have a resume of the situation and see what should be done to fulfil this Constitutional obligation. It may not be possible to impose a ceiling of 25 per cent of reservation for Scheduled castes and Scheduled tribes for improvement to Government series but, let this Bill enable us to think about the lot of these people and then make a conscious effort, at the Governmental level, particularly Home Ministry level, to take new initiatives to focus attention on the problems of the weaker sections, particularly scheduled castes and scheduled tribes. So that they can boldly say that their problems are being looked into, offering them a ray of hope.

With these words, I thank you, Sir, for giving me this opportunity to highlight the deplorable condition of these unfortunate fellow citizens of ours.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना)

सभापति महोदय, श्री दण्डपाणि जी ने जो बिल सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और सरकार से आशा करता हूँ कि वह इस बिल को बिना संकोच पास करेगी। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं है, यदि कोई अच्छा बिल इस तरह से लाया जाये तो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है—उसका विरोध करना। अगर ऐसा नहीं है तो पास करके दिखलाइये, हम आप को बधाई देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे पास नहीं करेंगे।

सभापति जी, इस बिल के अन्दर जो बातें कही गई हैं, वे बहुत ही उपयुक्त हैं और उन्होंने इस बिल के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये जो आश्वासन पिछले 25 वर्षों में दिये गये, आज तक उनको ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं।

एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि एक पत्र गृह मन्त्री जी ने तमाम राज्य सरकारों को लिखा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो शर्तें हैं उनको पूरा किया जाये। एक पत्र 1968 में भेजा गया, दूसरा पत्र 1970 में भेजा गया। इस सदन की शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो समिति है, उसका सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि आज भी अनेकों स्थानों पर उनका पालन नहीं किया जा रहा है। पता नहीं क्यों पालन नहीं करना चाहते हैं। सरकार से पूछा गया कि मन्त्रालय या उसके अफसर जो उसका पालन नहीं करते, उनके खिलाफ़ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं—लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम जानते हैं कि आप उनके खिलाफ़ कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सकते।

जो प्रतिशत आपने सरकारी उद्योगों के लिये शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रखा है, क्या उसको प्राइवेट उद्योगों के लिये नहीं रखा जा सकता। सरकारी उद्योगों के लिये रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट उद्योग हैं, यह उन पर भी लागू होना चाहिये। जब हम नाना प्रकार के कानून उन पर लगाते हैं, प्राइवेट फण्ड, बोनस और दूसरे कानून लगाए हैं तो उनके लिये यह शर्तें भी लगाइये कि इतने प्रतिशत अपने कारखानों में वे इन लोगों को भी स्थान देंगे। अगर ऐसा हो जाये तो मैं समझता हूँ कि यह समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है।

आज ऐसी अनेकों जातियां हैं जो आप की लिस्ट से छूट गई हैं। यह बात इस सदन में अनेकों बार उठाई गई है और सदन ने यह तय किया कि इसका अध्ययन करने के लिये एक समिति बनाई जाये। एक समिति बनी, उसने सारे देश में इस बात का अध्ययन किया कि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनको नहीं लिया

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

गया है। उस समिति ने अध्ययन करके रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर एक बिल तैयार हुआ। लेकिन मैं अनेकों बार संसत्कार्य मन्त्री से पूछ चुका हूँ, छीछली बार जब लोकसभा भंग हो गई थी तो उस समय वह बिल लैप्स हो गया और आज भी वह बिल रखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ उस बिल को आप लायें जिसमें काफी लोगों को लाभ मिल सके। आज की स्थिति में काफी जातियों को उसका लाभ नहीं मिलता है लेकिन उम बिल के पास होने के बाद मिलेगा। परन्तु पता नहीं मन्त्री जी के सामने कौन सी दिक्कतें हैं? यदि डम मेशन में काफी काम है तो अगली बार उसको ला सकते हैं। उम पर बहुत खर्चा हुआ है, कमेटी ने सारे देश का सर्वे किया है और अनेकों बैठकों के बाद बिल तैयार किया है इसलिए उमको आप जरूर लायें।

मभापनि जी, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी 50 पैसा रोज कमाने हैं उममें वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे? छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी 50 पैसे में गुजारा करता है। गहन कार्यों में 13 पैसे गुजरात में मिलते हैं। यह जो गरीबी है इसका यही कारण है कि उनका सम्मान नहीं मिलता, उनको दुर्भावना में देखा जाता है। उनके बच्चे शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाते। 50 पैसे में उनका पेट नहीं भरता और उमके कारण अनेकों म्यानों पर महंगा और आम की गुठली खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज्ञादी के 25 वर्षों बाद भी ऐसी दशा हो तो वह इस देश पर कलंक है। प्रधान मन्त्री जी गरीबी दूर करने की बात से अब इनकार कर रही हैं, बड़ कहती हैं कि मैंने कभी यह बात नहीं कही।

(श्रवणान)

चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर लगे, हरिजन, गरीब लोगों और आदिवासियों को आकर्षण दिया गया कि हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, तुम को मकान दिलवायेंगे, तुम को रोजगार दिलवायेंगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा

देंगे, अच्छी नौकरियों देंगे—इस प्रकार के लालच उनको दिए गए थे और अब कहा जाता है कि गरीबी दूर करने का नारा ही हमने नहीं दिया।

जहां तक छुआछूत की बात है, वह देहानों में है लेकिन उनको शिकायत करने का माहम नहीं होता है, वह धाने जा नहीं सकते हैं क्योंकि वह पुलिस में डरते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है जाने की, लेकिन उनके कुछ लोग जो नेता बन जाते हैं, जो चुनकर अच्छी जगहों पर आ गए उसके बाद सारी सहूलियतें और सारी राहतें अपने तक ही बटोर कर रखते हैं और दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाने हैं। इस प्रकार के काफी नेता हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अधिक लोगों को लाभ मिलें, जो कानून आपने बनाए हैं, जिन नियमों का पालन सरकारों अफसर नहीं करते हैं, आप ज्यादा नहीं थोड़े लोगों को ही सजा दीजिए, कटोर सजा दीजिए जिसमें कुछ भय पैदा हो और एक अच्छी हवा फैले तथा हर अफसर यह समझे कि यदि यह कार्य नहीं किया तो सजा भुगतनी पड़ेगी और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जब तक उनमें ऐसा भय नहीं होगा तब तक ठीक प्रकार से वह कानून लागू नहीं होंगे।

मैं इतना ही कहना चाहता हू कि इस बिल के अन्दर जो बातें कही गई हैं, वास्तव में यह बिल सरकार की ओर से आना चाहिए था लेकिन सरकार इतनी बहरी और अंधी है कि कुछ पूछिये मत। उमे कितनी ही बार खटखटाओ वह सुनती नहीं है वह बिल्कुल गूमी और पक्की गूमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिना संकोच हिम्मत के साथ आगे बढ़ें तो आप पुण्य करेंगे। मिर्धा साहब, यदि आपने बिल को आज अभी पास कर लिया तो आपको इतना पुण्य होगा, इतनी दुवायें मिलेंगी कि देश में आप बार बार जन्म लेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को बिना संकोच के आप करें।

श्री इरबारा सिंह (होशियारपुर) :
 चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया वक्त के लिए। समाज में तब्दीली आ रही है इसमें कोई शक नहीं है। पुराना समाज टूट रहा है और नया समाज उसकी जगह ले रहा है। पुराना समाज जो टूट रहा है उसको जितनी जल्दी से समाप्त कर दिया जाये उतना ही अच्छा है क्योंकि अभी तक हमारे वह लोग जो बहुत पीछे रह गए हैं जिनके लिए मेरे एक साथी अपोजीशन वाले ने कहा है कि गरीबी हटाओ का प्रोग्राम कहा था मैं कहता हूँ ज्यादा प्रचार इनका था और इसी प्रचार के बदले यह आ गए—इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ जो पुराना समाज टूट रहा है उसमें यह बिल जो हमारे साथ लाये हैं उससे मैं समझता हूँ एक बात जरूर है कि सरकार को जागृत करने के लिए एक सन्देश है कि कहीं भी जितने काम ढीले पड़े हैं, मैं जानता हूँ होम मिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं वह उनमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन कहीं कहीं पर दिलचस्पी नहीं ली जा रही है तो उन स्टेज के बारे में ध्यान दिया जाये। बहुत सी स्टेज हैं जिनको हिदायत पहुंची है कि यह काम करने हैं लेकिन उन पर कोई काम, कोई ऐक्शन हो रहा है या नहीं उसकी पड़ताल करने की जरूरत है। जो सहुलियात उनको दिए गए हैं उनको पाये तकमील तक पहुंचाने के लिए क्या जराए इस्तेमाल किए गए हैं वह आज तक किसी को पता नहीं है। मैं समझता हूँ अगर दो हुई रियायतों को ही प्राप्त पूरा कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। स्टेज में सीलिंग का बहुत जोर है कि सीलिंग में मे जमीन निकलेगी लेकिन यह मिसनामर है क्योंकि जितनी कही गई उतनी नहीं है। मैं डम ब्रडम में नहीं पड़ना चाहता कि इन लोगों ने जमीन दबाई है, जमीन किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है—इस बारे में मैं नहीं कहना, लेकिन सरकार ने यश में निपटारा किया कि हाउसेज सभी को देने हैं जिनके पाम हाउस नहीं हैं। उनको

वह मिले तो अच्छी बात है, स्टेट गवर्नमेन्टस हाउससेज दे सके तो बड़ी खुशी होगी लेकिन वह काशत के लिए जमीन नहीं दे पायेंगी। इसलिए आप कल्टिवेशन की तरफ अक्ल न लगायें लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्री का उसको छोटे छोटे कस्बों तक ले जायें ताकि जो लोग अनएम्प्लायड हैं उनको वहां पर काम मिल सके। यह नहीं कि शहरों में ही आयें अपने मकान, दुकान छोड़ कर, सिर्फ आप आयें और वहां जो काम करने वाले हैं जो परिवार है जिसको खिलाना है उसके पास कोई गुंजायश न रहे और यहां पर वह जो कमायें वह खुद खा जायें। इसलिए आप उनके नजदीक जायें और स्टेट्स को भी कहें कि इन्फ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज देहात में चली जायें जिसमें लोगों को काम मिल सके। इन बारे में आपको सोचना है। हम एक क्वेश्चन कि हैवी इंडस्ट्रीज बिग इंडस्ट्रीज यहां लगाई जायें, उसमें आप मदद कर सकते हैं लेकिन वह हो नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए काम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों में ही काम्प्लेक्स है कि हमें छोटा समझा जा रहा है। जब तक उनके दिमाग से वह चीज नहीं निकलती तब तक वह काम कर नहीं सकते। आप बार बार रिजर्वेशन क्यों मांगते हैं, इसलिए कि अभी तक जो समाज का कटा हुआ हिस्सा है उसको पाये तकमील एक पहुंचाना है। लेकिन उनकी यही हालत रहेगी, आप तीस साल तक भी रिजर्वेशन देते रहें तो सीटों से कोई फौजला नहीं होने वाला है बल्कि नीचे जो इम्प्लॉयेमेंटेशन है, जो समाजवाद है उसकी तसवीर उनके सामने आनी चाहिए। समाजवाद क्या है? रोटी काड़ा मकान आसानी से दस्तियाब हो सके उसके बारे में रिजर्वेशन से नहीं होगा। मैं कहता हूँ उनको यह सब चीजें दीजिए ताकि यह कहना छोड़ दें कि रिजर्वेशन हमारी होनी चाहिए। सारी स्टेज में यह है कि अगर हरिजन की बारी आती है पी० सी० एस० में, तो कहने हैं कि कहीं छोटे से जिले में

[बरबारा सिंह]

लगा दो। एक ओ० एस० डी० है, मीन्स नथिंग, उस का कोई काम नहीं है, वह जाता है और दफ्तर में बैठता है, ऐसी जगह हरिजन लड़कों को भेज देते हैं। यह ठीक है कि सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की जरूरत है! आप स्टेटस को पुल अप करेंगे तब बात बनेगी। आप की नीयत चाहे जितनी अच्छी हो...

MR. CHAIRMAN: The hon. Member will please continue on the next occasion.

18 hrs.

ARREST OF MEMBER

(Shri Jharkhande Rai)

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that the hon. Speaker has received the following communication dated the 19th April, 1973, from the Sub-Divi-

sional Magistrate, Parliament Street, New Delhi:—

"I have the honour to inform you that Shri Jharkhande Rai, Member, Lok Sabha, was arrested today at about 3.45 P.M. at Patel Chowk, New Delhi, under section 188, Indian Penal Code, vide FIR No. 896, dated the 19th April, 1973, Police Station, Parliament Street, for violation of prohibitory orders under section 144, Criminal Procedure Code, promulgated by Additional District Magistrate (South), Delhi. He is being produced before the Judicial Magistrate, First Class, for trial. He is at present in Police Station, Parliament Street."

The House stands adjourned to meet on Monday, April 23, 1973, at 11.00 a.m.

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 23, 1973/Vaisakha 3, 1895 (Saka).